

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2017/अग्रहायण 15, 1939

No. 459]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2017/AGRAHAYANA 15, 1939

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2017

- सं. एच.आर.डी./22/2016/आर.आर./ओ.एल..—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार की पूर्वानुमित से, एतदद्वारा केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2008 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:
 - 1. 1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निदेशक (राजभाषा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
 - 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2008 (इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
 - "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के क्रम संख्या (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"
 - 3. उक्त नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

अनुसूची

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निदेशक (राजभाषा) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पद का नाम	निदेशक (राजभाषा)
2.	पद की संख्या	01* (2017)
		*कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय

[PART III—SEC. 4]

3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'क', गैर अनुसचिवीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-12 वेतन मैट्रिक्स में (78,800 - 2,09,200)
5.	चयन पद अथवा गैरचयन पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा
11.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्निति : वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67,700- 2,08,700) उप निदेशक (राजभाषा) ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	समूह 'क' विभागीय पदोन्निति समिति (पदोन्निति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्न शामिल होंगे : (क) सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय-अध्यक्ष (ख) अपर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय-सदस्य (ग) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-सदस्य
13.	भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग को किन परिस्थितियों में परामर्श किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं

डॉ. वी.पी. जोय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन-III/4/असा./328/1**7**]

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग- III, खंड 4 में संख्या एच.आर.डी./1(12)99/आर.आर., दिनांक 30 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2017

No. HRD/22/2016/RR/OL..—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), the Central Board, Employees' Provident Fund with prior approval of the Central Government, hereby makes the following rules to amend the Employees' Provident Fund Organisation [Director (Official Language)] Recruitment Rules, 2008 namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation [Director (Official Language)] Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Provident Fund Organisation [Director (Official Language)] Recruitment Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2 the following rule shall be substituted, namely:-

- "2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in serial number (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."
- 3. In the said rules, for the Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE)

IN EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISTION

1.	Name of the post	Director (Official Language)		
2.	Number of posts	01* (2017) *Subject to variation dependent on workload		
3.	Classification	Group 'A', Non-Ministerial		
4.	Level in the pay matrix	LEVEL-12 in the Pay Matrix [78,800-2,09,200]		
5.	Whether selection post or non-selection post.	Selection post.		
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable		
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Not Applicable		
8.	8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees? Not Applicable			
9.	Period of probation, if any	Not Applicable		
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion.		
11.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	Promotion: Deputy Director (Official Language) in Level-11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700) with five years' regular service in the grade.		
12.	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	 Group 'A' Department Promotion Committee (For considering promotion) consisting of: Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment - Chairman Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment - Member Central Provident Fund Commissioner - Member 		
13	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.		

Dr. V.P. JOY, Central Provident Fund Commissioner and

Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./328/2017]

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 *vide* number HRD/1(12)99/RR, dated the 30th August, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2017

सं. एच.आर.डी./22/2016/आर.आर./ओ.एल..—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार की पूर्वानुमित से, एतदद्वारा केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 1999 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:

- 1. 1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
 - 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 1999 (इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
 - "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के क्रम संख्या (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"
- 3. उक्त नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

अनुसूची कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उप निदेशक (राजभाषा) के पद हेत् भर्ती नियम

1.	पद का नाम	उप निदेशक (राजभाषा)
2.	पद की संख्या	10* (2017)
		*कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'क', गैर अनुसचिवीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-11 (67,700-2,08,700)
5.	चयन पद अथवा गैरचयन पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा
11.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	पदोन्निति : वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (56,100- 1,77,500) सहायक निदेशक (राजभाषा) ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	समूह 'क' विभागीय पदोन्निति समिति (पदोन्निति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्न शामिल होंगे : (क) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त —अध्यक्ष (ख) अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) — सदस्य (ग) अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त —सदस्य
13.	भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग को किन परिस्थितियों में परामर्श किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं

डॉ. वी.पी. जोय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन-III/4/असा./328/17]

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में संख्या जी.एस.आर 357, 30 अगस्त, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

_303 -

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2017

No. HRD/22/2016/RR/OL.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section(7) of Section 5D of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), the Central Board, with prior approval of the Central Government, hereby makes the following rules to amend the Employees' Provident Fund Organisation, [Deputy Director (Official Language)] Recruitment Rules, 1999 namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation [Deputy Director (Official Language)] Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Provident Fund Organisation, [Deputy Director (Official Language)] Recruitment Rules, 1999 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in serial number (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."
- 3. In the said rules, for the Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE)

IN EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISTION

	IN EMITLUTEES PROVID	ENT FUND ORGANISTION		
1.	Name of the post	Deputy Director (Official Language)		
2.	Number of posts	10* (2017)		
	_	*Subject to variation dependent on workload		
3.	Classification	Group 'A', Non-Ministerial		
4.	Level in the pay matrix	LEVEL-11 [Rs.67,700-2,08,700]		
5.	Whether selection post or non-selection post.	Selection Post		
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable		
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Not Applicable		
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees?	Not Applicable		
9.	Period of probation, if any	Not Applicable		
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion.		
11.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	Promotion: Assistant Director (Official Language) in Level-10 in the pay matrix (Rs.56,100-1,77,500) with five years' regular service in the grade.		
12.	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:		
		Central Provident Fund Commissioner – Chairman.		
		Additional Central Provident Fund Commissioner (HQ) — Member.		
		3. Additional Central Provident Fund Commissioner - Member.		

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

[13.	Circumstances in which	Union Public Service	Consultation with Union Public Service Commission is
		Commission is to be	consulted in making	not necessary.
ı		recruitment.		

Dr. V.P. JOY, Central Provident Fund Commissioner and

Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./328/2017]

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section -- 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 357, dated the 30th October, 1999.